रजिस्ट्री सं डी (डी एन)-72

REGISTERED No. D (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 1985/चैत्र 21, 1907
No. 183] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 1985/CHAITRA 21, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग एवम् कम्पनी कार्य मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1985

आदेश

का. आ. 300(अ)/18कक/आई डी आर. ए/85—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के का आ 790 (अ) तारीख 9 नवम्बर, 1982 द्वारा यथा संशोधित आदेश सं० का० आ. 734(अ) 18कक/आई डी आर ए/82 तारीख 12 अक्तूबर, 1982 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स कान्ति काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड सुरेन्द्र नगर, गुजरात नामक संपूर्ण उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 11 अप्रैल, 1983 तक का जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के के लिए ग्रहण किया गया था और गुजरात राज्य वस्त्र निगम को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं का. आ 285(अ)/18कक/आई डी आर ए/83-तारीख 11 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश का अवधि को 11 अक्तूबर, 1983 तक को, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास को और अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का आ. 725 (अ)/18कक/आई डी आर ए/83 तारीख 11 अक्तूबर, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 11 अप्रैल, 1984 तक को जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था,

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं. का. आ. 279(अ)/18कक/आई डीआर ए/84 तारीख 11 अप्रैल, 1984

द्वारा उक्त आदेश की अवधि की, 11 अक्तूबर, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 786 (अ)/18कक/आई डी आर ए/84 तारीख 11 अक्तूबर, 1984 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को 11 अप्रैल, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, गुजरात राज्य वस्त्र निगम के अधीन 11 अक्तूबर, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है छह मास की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 11 अक्तूबर, 1985, तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 3(1)/82-सीयूएस]

ए.पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 11th April, 1985

ORDER

S.O. 300(E)|18AA|IDRA|85.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 734(E)|18AA|IDRA|82, dated the 12th October, 1982, as amended vide S.O. 790(E) dated the 9th November, 1982 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole undertaking known as Messrs Kanti Cotton Mills Private Limited, Surendranagar, Gujarat, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of 6 months upto and inclusive of the 11th April, 1983 and the Gujarat State Textile Corporation was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 285(E)|18AA|IDRA|83, dated the 11th April, 1983, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 11th October, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 275(E)|18AA|IDRA|83, dated the 11th October, 1983, the period of the said order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 11th April, 1984;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 279(E)|18AA|IDRA|84, dated the 11th April, 1984, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 11th October, 1984;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 786(E)|18AA|IDRA|84 dated the 11th October, 1984, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 11th April, 1985.

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Gujarat State Textile Corporation for a further period of six months upto and inclusive of the 11th October, 1985.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 11th October, 1985.

[File No. 3(1)|82-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985